न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर ,शाखा रीवा ,जिला रीवा म0प्र0

R. 3650 - III/13

1— जगेश्वर सिंह तनय श्री दलवीर सिंह उम्र 80 वर्ष, पेशा खेती,

2— मनोज सिंह तनय श्री जगेश्वर सिंह उम्र 40 वर्ष, पेशा खेती

दोनो निवासी ग्राम झौसी ज0नं0 364 थाना ,तहसील नईगढी जिला रीवा म0प्र0 ——— निगरानी /आवेदक

बनाम

1— राजभान तनय दुलारे कोल उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम अटरा थाना ,तहसील नईगढी जिला रीवा म0प्र0

2— तहसीलदार तहसील नईगढी जरिये थाना नईगढी जिला रीवा म0प्र0

———गैरनिगरानीकर्ता /अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 18/06/13 प्रकरण क्र0 03/ए 70/2012—13 जिसके द्वारा तहसीलदार तहसील नईगढी निगरानीकर्ता को बिना सुने सुचना दिये स्थगन आदेश जारी किया निगरानीकर्ता के भूमि से निर्माण कार्य रोक जाय।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व सहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी को समझने के लिए निम्न संक्षेप में दिये जा रहे है:—

1— यह कि भूमि नं0 34/1 निगरानीकर्ता की पैत्रिक सम्पत्ति है जिसकमें निगरानीकर्ता का नाम 2003 तक राजस्व अभिलेख मे दर्ज होता रहा

(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3650/III/13 (रीवा) जगदीश / रामजान

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों के हस्ताक्षर
06/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 17/7/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर तहसीलदार गढ़ी ... के प्रकरण क्रमांक 03/अ-70/12-13 में पारित आदेश दिनांक 18/6/13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 6/2/19 सदस्य	